भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2895
दिनांक 03 अगस्त, 2018 को उत्तर के लिए

एन॰आर॰आई॰ विवाह संबंधी विवाद

2895. श्रीमती कविता कलवकुंतलाः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इंटीग्रेटिड नोडल एजेंसी (आईएनए) ने अनिवासी भारतीयों के विवाह संबंधी विवादों के बारे में लुक आउट परिपत्र जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे मामलों में विशेष रूप से दोषी लोगों के मामले में जो देश से बाहर चले गए हैं और विदेशों में रह रहे हैं में आईएनए किस प्रकार सहयोगी होगा?

उत्तर

डा. वीरेंद्र कुमार — महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(क) से (ग) : जी, हां। एकीकृत नोडल एजेंसी (आईएनए) अनिवासी भारतीयों के वैवाहिक विवादों से संबंधित मुद्दों पर नियमित रूप से विचार-विमर्श करने और संज्ञेय अपराधों, जिनमें विदेशी पति गिरफ्तारी से जानबूझकर बच रहा है या गैर जमानतीय वारंट जारी होने के बावजूद भी विचारण करने वाले न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है, में (लुक आऊट सर्क्यूलर) जारी करने पर नियमित रूप से विचार विमर्श करता है। अब तक, एकीकृत नोडल एजेंसी ने राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) मामले की बारीकी से जांच करवाने के पश्चात अपराध करने वाले पतियों के विरूद्ध 6 लुक आऊट सर्क्यूलर जारी किए हैं।

*****